न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री चुन्नीलाल पुत्र हिराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- हालीवाडा, तह. व जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अना पुत्र हिराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- हालीवाडा, तह. व जिला-सिरोही
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, मडिया, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 58/2013

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 30 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र हिराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- हालीवाडा की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा अप्रार्थी अना पुत्र हिराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- हालीवाडा के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट अर्थात् 150 वर्गगज भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन का जारी पट्टा दिनांक 05.12.1975 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत, मडीया से तलब किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 08.11.2013 को अप्रार्थी संख्या-1 (अना) इस न्यायालय में उपस्थित हुआ, परन्तु उसके बाद अप्रार्थी संख्या-1 (अना) इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी संख्या-1 (अना) की ओर से कोई जवाब या साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। जिस पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र हिराजी, जाति- मेघवाल, निवासी-हालीवाडा ग्राम हालीवाडा, ग्राम पंचायत हालीवाडा का स्थाई निवासी है। ग्राम हालीवाडा में मेघवाल वास में प्रार्थी का 45 वर्ष पुराना कब्जे भोगवटे का मकान व स्वयं के स्वामित्व का एक भूखण्ड़ आया हुआ है। उक्त मकान प्रार्थी के पुश्तैनी एवं पुराने कब्जे भोगवटे का है व चारों और कांटो की बाड व बाड में पुराने पेड खडे है। प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के मकान मय भूखण्ड़ का ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के नाम से पट्टा दिनांक 05.12.1975 को जारी किया गया है जो अप्रार्थी संख्या-1 ने ग्राम पंचायत, मडीया के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कुटरचित तरीके से प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के नाम से जो पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे में चतुर्दशी दर्शाई हुई नही है, जिससे यह ज्ञात नही होता है कि प्रश्नगत पट्टा किस स्थान का है। प्रश्नगत पट्टे में केवल नाप पूर्व-पश्चिम 45 फीट व उत्तर-दक्षिण 30 फीट अंकित किया हुआ है, परन्तु पट्टा किस स्थान का है यह ज्ञात नही होता है। ग्राम पंचायत, मडीया के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के नाम से जारी पट्टा दिनांक 05.12.1975 के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में भूखण्ड़ आवंटन या पट्टा जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल भी दायर नही की गई एवं न ही पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की जांच की है। प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.12.29175 में अंकित शर्त संख्या-8 के अनुसार पट्टा जारी करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर मकान बनाया जाना अनिवार्य है, लेकिन तथाकथित पट्टा 40 वर्ष पुराना बना हुआ है जो उक्त पट्टे में आवंटन शर्तो के अनुसार पट्टा स्वत: ही अमान्य हो गया है। अप्रार्थी संख्या-1 का पक्का आवासीय मकान पूर्व से ही अन्य स्थान पर बना हुआ है जिससे अप्रार्थी को नि:शुल्क पट्टा जारी करना नियम विरुद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी अना द्वारा प्रार्थी चुन्नीलाल को प्रश्नगत पट्टे की आड में धमकी दी जाने लगी कि तुम्हारे मकान व भूखण्ड़ की भूमि का मेरे नाम से पट्टा जारी किया हुआ है, जो मकान व भूखण्ड़ खाली कर दो, अन्यथा जबरदस्ती मकान खाली करवाउंगा। तब प्रार्थी को सर्वप्रथम प्रश्नगत पट्टे की जानकारी हुई और प्रार्थी द्वारा बिना किसी देरी के यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी जिस मकान व भूखण्ड़ पर जबरन कब्जा करना चाहता है, वह आवासीय मकान व भूखण्ड़ प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे का है जिस पर प्रार्थी का गत 45 वर्ष से अधिक समय पुराना मकान व कब्जा है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.12.1975 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा अप्रार्थी अना पुत्र हीराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- हालीवाडा के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट अर्थात् 150 वर्गगज भूखण्ड़ का नि:शुल्क आवंटन करते हुए पट्टा दिनांक 05.12.1975 को जारी किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.12.1975 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टा दिनांक 05.12.1975 में भूमि का क्षेत्रफल अंकित किया हुआ है, किन्तु इस पट्टे में भूखण्ड़ की चतुर्दशी दर्शाई हुई नही है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा अप्रार्थी अना को किस स्थान (जगह) का पट्टा जारी किया गया है वह पट्टे से ज्ञात नही होता है। जबकि प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे के मकान व भूखण्ड़ की भूमि को अप्रार्थी अना द्वारा प्रश्नगत पट्टे की भूमि होना बताया जा रहा है। प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी अना का आवासीय मकान ग्राम हालीवाडा में अन्य स्थान पर बना हुआ है। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी अना

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी अना द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र का न तो जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न ही कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत, मडीया से प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.12.1975 से संबंधित रेकर्ड तलब किया जाने पर ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मडीया ने पत्र दिनांक 10.1.2018 से यह अवगत कराया गया कि पट्टा दिनांक 05.12.1975 से संबंधित रेकर्ड कार्यालय में उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.12.1975 को निरस्त करते हुए प्रकरण वर्तमान ग्राम पंचायत, हालीवाडा को दोनों पक्षकारान को नये सिरे से सुनवाई का अवसर देते हुए प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा अप्रार्थी अना पुत्र हीराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- हालीवाडा के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा दिनांक 05.12.1975 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, हालीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षकारान को नये सिरे से सुनवाई का अवसर देते हुए प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

30.05.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही